उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल

दिनांकः अप्रैल 17, 2013

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय नैनीताल में न्यायालय की टोयोटा करोला संख्या यू.ए. 04 बी/3322 जो न्यायालय परिसर में जहां है, जैसी है, की नीलामी दिनांक 25.04.2013 को दिन में दोपहर 01:00 बजे न्यायालय परिसर में अधोहस्ताक्षरी/अधिकृत अधिकारी के समक्ष की जायेगी।

इच्छुक व्यक्ति/फर्म को नीलामी में भाग लेने हेतु जमानत के रूप में ₹5,500/– (₹5,000/– **रिफन्डेबल** तथा ₹500/– **नॉन–रिफन्डेबल**) रूपये की नगद धनराशि उत्तराखण्ड न्यायालय, नैनीताल के रोकड़ अनुभाग में दिनांक 25.04.2013 को दोपहर 12:00 बजे तक जमानत के रूप में जमा करनी होगी।

इच्छुक व्यक्ति/फर्म, निविदा की सभी शर्तों/नियमों को किसी भी कार्य दिवस में न्यायालय के नजारत अनुभाग से प्राप्त कर सकते है। विवरण उच्च न्यायालय की वैबसाइट www.highcourtofuttarakhand.gov.in में भी उपलब्ध है।

ह0/–
महानिबन्धक
उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय
नैनीताल

प्रतिलिपि निम्न को इस आशय से प्रेषित कि वे अपने नोटिस बोर्ड पर इसे वृहद प्रचार हेतु चस्पा करें :–

1. जिला न्यायाधीश, नैनीताल।
2. आयुक्त, कुमांऊ मण्डल, नैनीताल।
3. जिलाधिकारी, नैनीताल।
4. जिलासूचना अधिकारी, नैनीताल।
5. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, नैनीताल।
6. न्यायालय के नोटिस बोर्ड एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा करने हेतु।

अपर निबन्धक
उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय
नैनीताल।

<u>नियम एवं शर्ते</u>

- निविदा की नियम एवं शर्तों की प्रति दिनांक 25.04.2013 तक किसी भी कार्यदिवस में माननीय न्यायालय के नजारत अनुभाग से निःशुल्क प्राप्त की जा सकती है।

- इच्छुक व्यक्ति/फर्म, नीलामी की जाने वाले वाहन का अवलोकन दिनांक 25.04.2013 तक किसी भी कार्य दिवस में उच्च न्यायालय के नजारत अनुभाग में सम्पर्क करके कर सकते हैं। बोली बोलने वाले वाले व्यक्ति/फर्म का स्वयं उत्तरदायित्व होगा कि बोली बोलने से पूर्व निलामी किये जाने वाले वाहन को सम्यक् रूप से निरीक्षण/परीक्षण कर लें। निरीक्षण/परीक्षण का अर्थ वाहन को चलाकर दिखाना या चलाकर देखने देना, कदापि नहीं होगा।

- टोयोटा करोला संख्या यू.ए. 04 बी/3322 (मॉडल–2004) जो न्यायालय परिसर में जहां है, जैसी है, वैसी ही स्थिति में नीलाम किया जायेगा।

- इच्छुक व्यक्ति/फर्म को जमानत के रूप में ₹5,500/– (₹5,000/– **रिफन्डेबल** तथा ₹500/– **नॉन–रिफन्डेबल**) की धनराशी न्यायालय के रोकड अनुभाग में दिनांक 25.04.2013 को दोपहर 12:00 बजे तक नकद जमा करना अनिवार्य होगा। बिना जमानत धनराशि जमा कराए कोई भी व्यक्ति बोली में भाग नहीं ले सकेगा। निविदा अस्वीकृत होने पर उक्त व्यक्ति/फर्मों की जमानत धनराशि उसी दिन वापस कर दी जायेगी।

- इच्छुक व्यक्ति/फर्म को नियम एवे शर्तों की कॉपी एवम् संलग्नक फॉम–1 को भरकर तथा यथास्थान हस्ताक्षर करके देना होगा।

- वाहन (टोयोटा करोला) को निर्धारित न्यूनतम मूल्य से कम मूल्य पर किसी भी दशा में नीलाम नहीं किया जायेगा।

- वाहन के लिए बोली दिनांक 25.04.2013 को दोपहर 1:00 बजे समिति द्वारा तय स्थान पर की जायेगी। अनुपस्थित रहने वाले व्यक्ति/फर्म को बोली समाप्त होने के पश्चात कोई मौका नहीं दिया जायेगा।

- समिति द्वारा स्वीकार की गयी उच्चतम निविदा तभी अन्तिम मानी जायेगी जब विभागाध्यक्ष द्वारा अनुमोदित कर ली जाये।

- अधिकतम बोलीदाता को नीलामी समाप्ति एवं न्यायालय द्वारा निविदा की धनराशि की स्वीकृती के उपरान्त तुरन्त न्यायालय के रोकड़ अनुभाग में पूर्ण धनराशि नकद जमा करनी होगी, उसके उपरान्त ही वाहन को ले जाने दिया जायेगा।

- अधिकतम बोलीदाता द्वारा पूर्ण धनराशि जमा करने के उपरान्त उनकी धरोहर राशि वापस की जायेगी।

- वाहन को नीलामी स्वीकृति के 24 घंटे के भीतर ले जाना होगा अन्यथा उसकी बोली निरस्त कर दी जायेगी और उसके द्वारा जमा की गयी जमानत धनराशी जब्त कर ली जायेगी। तथा वाहन को पुनः नीलाम किया जायेगा।

- अधिकतम बोलीदाता को अपने पहचान–पत्र की फोटो कॉपी एवं एक पासपोर्ट साइज फोटो न्यायालय में जमा करना अनिवार्य होगा।

- यदि माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड के संज्ञान में यह बात आती है कि निविदाकर्ताओं ने आपस में गिरोह बना लिया है या कोई सांठ–गांठ कर रखी है और वाहन का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है तो ऐसी स्थिति में नीलामी निरस्त/स्थगित की जा सकती है।

- माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड द्वारा स्वीकार की गयी उच्चतम नीलामी के बाद किसी भी प्रकार की आपत्ति मान्य नहीं होगी।

- नीलामी की तिथि में परिवर्तन करने तथा नीलामी की स्वीकृति को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड का होगा।

- नीलामी के सम्बन्ध में किसी भी कानूनी वाद का अधिकार क्षेत्र नैनीताल स्थित सक्षम न्यायालय होगा।

ह0/–
महानिबन्धक
उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय
नैनीताल

Form-1

❖ व्यक्ति/फर्म का नाम एवं पूर्ण पता :

❖ व्यक्ति/फर्म का फोन एवं मोबाइल नम्बर :

❖ सुरक्षा जमानत धनराशि :

स्थानः
दिनांकः

व्यक्ति/फर्म के हस्ताक्षर